



भारत सरकार / GOVT. OF INDIA
वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग / MINISTRY OF FINANCE, DEPTT. OF REVENUE
कार्यालय उप आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर संभाग-बी, जयपुर
OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER, CENTRAL GOODS AND SERVICES TAX DIVISION, - B, JAIPUR
सी.पी.-21, 22, 23, वी.के.आई. क्षेत्र, जयपुर- 302013 (राज.)

स्थापना आदेश

संभाग कार्यालय द्वारा अधीक्षक/निरीक्षक संबंधी पूर्व में जारी स्थापना आदेशों में संशोधन कर निम्नलिखित सहायक आयुक्त (In Situ)/अधीक्षक/ निरीक्षक को तुरन्त प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक उनके नाम के आगे दर्शाये स्थान पर निम्नानुसार पदस्थापित किया जाता है।

सहायक आयुक्त (In Situ)/अधीक्षक

S. No	Name of the Officer	Designation	Posted to
1	Shri Puran Chand Samaria	AC (In Situ)	Technical (Adjudication, Call Book, Daily Reports, TAR, DGARM, Audit /LAR, RTI, PQ)
2	Shri Pankaj Bhatt	Supdt	Range-VI
3	Shri K.C.Meena	Supdt	Range-VII
4	Smt. Sunita Jain	Supdt	Range-VIII
5	Shri Manoj Kumar Manwani	Supdt	Range-IX
6	Shri Laxmi Kant Tanwar	Supdt	Range-X

निरीक्षक

S. No	Name of the Officer	Designation	Posted to
1	Shri Rajendra Kumar Meena	Inspector	Range-VI
2	Shri Amitabh Yadav	Inspector	Technical (Adjudication & call book) with additional charge of Range-VII
3	Shri Ravi Lalwani	Inspector	Range-VIII
4	Smt. Neeru Yadav	Inspector	Range-IX
5	Shri Chaman Singh Meena	Inspector	Range-X
6	Shri Jitendra Kumar Meena	Inspector	Technical (DGARM, Dailly Reports, TAR, Audit/LAR, RTI, PQ)

उक्त पदस्थापित सहायक आयुक्त (In Situ)/अधीक्षक/ निरीक्षक को आवंटित किये गये कार्य के अतिरिक्त अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट कार्य का भी निपटान करना होगा।

-६०-
(प्रतीति गोयल)
उप आयुक्त

C.No.II-3(1)/Div-B/2019-Estt

Dated: 19/01/2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. संयुक्त आयुक्त, मुख्य आयुक्त कार्यालय, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर, जयपुर जोन।
2. संयुक्त आयुक्त (का. एवं सत.), केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, जयपुर।
3. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, जयपुर।
4. अधीक्षक (कम्प्यूटर), केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर, जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।।
5. निजी प्रति

उप आयुक्त